संघ प्रयोजनार्थ भूमियों का राजकीय अर्जन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1954

(1954 का अधिनियम संख्यांक 23)

[30 अप्रैल, 1954]

संघ प्रयोजनार्थ भूमियों का कतिपय राज्य सरकारों द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जन को और उसके सम्बन्ध में पारित आदेश और की गई कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ प्रयोजनार्थ भूमियों का राजकीय अर्जन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1954 है ।

2. भूमि के कतिपय अर्जन और उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों और आदेशों का विधिमान्यकरण—संघ के प्रयोजनों के लिए किया गया भूमि का हर अर्जन, जो उस कालावधि के दौरान किसी समय, जो संविधान के प्रवर्तन से प्रारंभ होती है और उस दिन को समाप्त होती है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के बारे में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के कृत्य न्यस्त किए गए हैं, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्य करते हुए या कार्य करना तात्पर्यित करते हुए किसी राज्य द्वारा किया गया है, और प्रत्येक ऐसे किन्हीं प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में, उक्त कालावधि के दौरान की गई प्रत्येक कार्यवाही और दिए गए प्रत्येक आदेश का ऐसे विधिमान्य होना और सदैव विधिमान्य रहना समझा जाएगा मानो उक्त कालावधि के दौरान राज्य सरकार को, सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार के उक्त कृत्य न्यस्त कर दिए गए हों तथा तद्नुसार इस प्रकार किया गया कोई अर्जन और उक्त अधिनियम के अधीन उक्त कालावधि के दौरान भूमि के किसी अर्जन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे कि जिस समय अर्जन किया गया था या कार्यवाही गई थी या आदेश दिया गया था, उस समय राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के कृत्य सम्यक् रूप से न्यस्त नहीं किए गए थे ।

———